

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] No. 616] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2017/फाल्गुन 11, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2017/PHALGUNA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 686(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53ञ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव खेर, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिकरण कहा गया है) के ज्येष्ठतम सदस्य को 12 दिसंबर, 2016 से छह मास की अविध के लिए या और आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, अधिकरण के अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 9/11/2016-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53J of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby authorised Shri Rajeev Kher, the senior-most Member in the Competition Appellate Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal), to discharge the functions of the Chairperson in the Tribunal for a period of six months with effect from the 12th day of December, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/11/2016-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.